कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना

पत्र सं०–CSTL / 19 / 2017 / ......118.......... कृ०, पटना, दिनांक ......14........ ~~जनवरी~~ फरवरी 2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), सभी
जिला कृषि पदाधिकारी, सभी
उप निदेशक (रसायन), सभी
सहायक निदेशक (रसायन)
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, सभी
प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी

विषय :– मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत किसानों को उनकी खेत की मिट्टी के जाँचोपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। ससमय अधिक से अधिक किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के प्रति सरकार तत्पर है। इसके आलोक में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिए निम्न प्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

(1) मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के द्वारा जिला कृषि कार्यालय को हस्तगत कराया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्राप्त कार्डों का पंचायतवार लेखा संधारित करेंगे एवं पंचायत में वितरण के लिए कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को उपलब्ध करायेंगे। कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों के द्वारा वार्डवार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लेखा संधारित किया जायेगा। निम्न प्रपत्र में पंजी संधारित किया जायेगा :–

पंचायत का नाम :– **ग्राम का नाम :–**

क्रमांक	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	मोबाईल नं0	वार्ड संख्या	प्राप्ति की तिथि	किसान/प्राप्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

(2) प्रत्येक माह के अंत में जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के द्वारा जिला कृषि कार्यालय को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रत्येक माह के 05 से 10 तारीख का वार्ड स्तर पर किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा।

(4) मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण की जाँच विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा की जायेगी :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जाँच हेतु निर्धारित प्रतिशत
1	प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)	प्रमंडल अंतर्गत वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 0.25 प्रतिशत
2	जिला कृषि पदाधिकारी	जिला अंतर्गत वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 0.5 प्रतिशत
3	उप निदेशक (रसायन)	अपने क्षेत्र अंतर्गत वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 0.25 प्रतिशत
4.	सहायक निदेशक (रसायन)	जिला अंतर्गत वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 0.5 प्रतिशत
5.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	प्रखंड अंतर्गत वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 01 प्रतिशत

नोट :–

1. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं उप निदेशक (रसायन) अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक जिला में जाँच करेंगे।

2. जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (रसायन) अपने जिला के प्रत्येक प्रखंड में जाँच करेंगे।

3. विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा पृथक क्षेत्रों में जाँच की जाएगी।

(5) प्रत्येक माह की 15 तारीख को जाँच के पश्चात् निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन उप निदेशक (रसायन) के ई–मेल ddcstl-agri-bih@nic.in पर उपलब्ध कराया जायेगा।

जाँच पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :–

क्रमांक	जाँच किये गये जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	किसानों की संख्या जिनके बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया गया है	जाँच के क्रम में कितने किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड पाया गया	अभ्युक्ति

विश्वासभाजन,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–CSTL / 19 / 2017 / ....118........... कृ०, पटना, दिनांक ...14......... ~~जनवरी~~ फरवरी 2019

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई मेल करने हेतु प्रेषित।

11.02.19

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।